न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 16/2021

उनवान

1. सुभाष चन्द पुत्र श्री भागीरथ, उम्र–व्यस्क, जाति कुमावत, निवासी साईवाड, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0

वादी

बनाम

1. नारायण पुत्र स्व0 श्री रामलाल उर्फ रामसिंह
2. धर्मेन्द्र पुत्र स्व0 श्री रामलाल उर्फ रामसिंह
3. नरेन्द्र पुत्र स्व0 श्री रामलाल उर्फ रामसिंह
4. राजू उर्फ शकुन्तला पुत्री स्व0 श्री रामलाल उर्फ रामसिंह
5. बनारसी पत्नी स्व0 श्री रामलाल उर्फ रामसिंह
6. राकेश पुत्र स्व0 श्री सूरज
7. शिम्भू उर्फ विनोद पुत्र स्व0 श्री सूरज
8. लाली उर्फ मंजू पुत्री स्व0 सूरज
9. कमली पत्नी स्व0 श्री सूरज
10. एकता पुत्री स्व0 श्री दयाल उर्फ दिनेश
11. टीना पुत्री स्व0 श्री दयाल उर्फ दिनेश
12. विनय पुत्र स्व0 श्री दयाल उर्फ दिनेश
13. माया देवी पत्नी स्व0 श्री दयाल उर्फ दिनेश
14. अमित पुत्र स्व0 श्री सुरेश
15. पुनम पुत्री स्व. श्री सुरेश
16. नीता उर्फ नाथी पत्नी स्व0 श्री सुरेश
17. श्रवण पुत्र स्व0 श्री सीताराम
18. बंशीधर पुत्र स्व0 श्री सीताराम
19. कमलेश पुत्र स्व0 श्री सीताराम
20. उम्मेदी पुत्री स्व0 श्री सीताराम
21. सन्तोष पुत्री स्व0 श्री सीताराम
22. गुलाब देवी पत्नी स्व0 श्री सीताराम
23. दाखली पत्नी प्यारेलाल
24. नारायण पुत्र मालीराम
25. प्यारेलाल पुत्र मालीराम
26. रामावतार पुत्र मालीराम
27. हजारीलाल पुत्र मालीराम

    समस्त व्यस्क, जाति खटीक, निवासी साईवाड, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
28. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

निर्णय दिनांक 10.10.2022

संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0– 647 रकबा 0.01, 713 रकबा 0.03 किता 2 0.04 है0 वाकै ग्राम साईवाड, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी वादी राजस्व रिकार्ड है नकल जमाबन्दी सं0 2074 से 2077 खाता सं0 434 संलग्न वाद पत्र है। नं0 648 रकबा 0.03, 649 रकबा 0.02 किता 2 कुल रकबा 0.05 है0 वाकै ग्राम साईवाड,

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है नकल जमाबन्दी सं0 2074 से 2077 खाता सं0 497 संलग्न वाद पत्र है। वादी अपनी वादपत्र मे वर्णित खातेदारी भूमि पर काबिज रहकर काश्त व अपने उपयोग उपभोग में लेता आ रहा है व वादी ने अपनी खातेदारी भूमि के कुछ भाग पर पुख्ता निर्माण कर रखा हैं।

वादी की उक्त खातेदारी भूमि के बतरफ पश्चिम दिशा में प्रतिवादी सं0– 1 लगायत 27 की खातेदारी आराजी खसरा नं0 658 रकबा 0.08 है0 वाकै ग्राम साईवाड, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है आराजी खसरा नं0 658 के सहखातेदार रामलाल पुत्र पुरा तथा सूरजमल पुत्र मालीराम, सुरेश कुमार पुत्र मालीराम, सीताराम पुत्र मालीराम फौत हो चुके है, मृतक रामलाल के प्रतिवादी सं0–1 लगायत 5 तथा मृतक सूरजमल के प्रतिवादी सं0–6 लगायत 13 एवं मृतक सुरेश के प्रतिवादी सं0–14 लगायत 16 तथा मृतक सीताराम के प्रतिवादी सं0–17 लगायत 22 वारिस एवं उत्तराधिकारी है जिन्होंने उनकी चल एवं अचल सम्पति उत्तराधिकार में प्राप्त की है इस कारण इन्हें पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है प्रतिवादीगण सं0–1 लगा0 27 ने अपनी उक्त खातेदारी आराजी खसरा नं0– 658 की पूर्वी सीमा पर पुख्ता दीवार का निर्माण कर मैड बन्दी कर रखी है, प्रतिवादीगण की पूर्वी सीमा पर स्थित पुख्ता दीवार के बतरफ पूर्व दिशा में वादी की खातेदारी खसरा नं0 647, 648, 649 की भूमि स्थित है जिस पर वादी काबिज काश्त है तथा अपने उपयोग उपभोग में लेता आ रहा है वादी की खातेदारी आराजी खसरा नं0– 647 रकबा 0.01 है0 की दक्षिण सीमा एवं खसरा नं0– 648 रकबा 0.03 है0 की उत्तरी सीमा आपस में मिली हुई है जो वाद पत्र के संलग्न लटटा नक्शा शीट से बखुबी साबित है और वहां पर बतरफ पश्चिम की तरफ वादी की पुख्ता दीवार बनी हुई है इस प्रकार खसरा नं0 647 व 648 के मध्य प्रतिवादीगण की खसरा नं0– 658 की कोई भूमि नहीं है, लेकिन राजस्व कर्मचारियों की सहवन से हुई गलती के कारण नक्शा ट्रेस में वादी की खातेदारी भूमि खसरा नं0– 647 प 648 के मध्य में प्रतिवादीगण की खसरा नं0 658 की कुछ भूमि दर्शित कर दी गई है जो गलत एवं गैरकानूनी है तथा बिना किसी सक्षम न्यायालय की डिक्री अथवा आदेश के बिना दर्शित की गई है जो काबिले दुरूस्ती है। वादी ने वादपत्र में वर्णित राजस्व कर्मचारियों द्वारा नक्शा ट्रेस मे सहवन से हुई गलती को दुरूस्त कराने के लिए प्रतिवादी सं0– 28 तहसीलदार महोदय– शाहपुरा को कई बार निवेदन किया है, लेकिन वे वादी को दुरूस्ती करने का आश्वासन देते रहे है लेकिन अब उन्होंने उक्त गलती को दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया है।

वाद पत्र वर्णित प्रकार से नक्शा ट्रेस में राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से हुई गलती के कारण अब प्रतिवादी सं0– 1 लगा0 27 के मन में दुर्भावना के चलते वादी की खातेदारी भूमि में बाधा उत्पन्न करने लगे है। दिनांक 01.02.2021 को वादी अपने परिवारजन के साथ आराजी खसरा नं0 648 , 649 की भूमि में कृषि कार्य कर रहा था प्रतिवादीगण एक राय होकर वादी को डराने, धमकाने लगे। बिनाय दावा वादपत्र के जिमन नं0–1 लगा0 8 के अनुसार वादी की खातेदारी भूमि खसरा नं0 647 व 648 के मध्य राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से नक्शा ट्रेस में लटटा नक्शाशीट के एवं मौका स्थिति के विपरीत प्रतिवादी सं0– 1 लगायत 27 की खसरा नं0– 658 की कुछ भूमि दर्शित कर देने एवं उसकी दुरूस्ती करने से तहसीलदार महोदय द्वारा इन्कार कर देने एवं प्रतिवादी सं0– 1 लगा0 27 द्वारा वादी को वादपत्र के जिमन नं0–8 में वर्णित प्रकार से धमकी दिये जाने से पैदा होकर दावा अन्दर मियाद पेश है।

प्रतिवादी सं0 28 राजस्थान सरकार व लोक सेवक है जिसके विरूद्ध वाद दायर करने से पूर्व उसे धारा–80 (1) सी.पी.सी का दो माह का कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है किन्तु प्रस्तुत मामला अत्यावश्यक प्रकृति का होने के कारण उक्त नोटिस दिया जाना संभव नहीं रहा है इस कारण वादी ने अलग से धारा–80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेशकर प्रतिवादी सं0– 28 को नोटिस दिये जाने से छूट व दावा दायर करने की अनुमति माननीय न्यायालय से प्राप्त कर ली है। अतः वादपत्र मयशपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

वादी का वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ डिक्री फरमाया जाकर वादी की खातेदारी भूमि खसरा नं0–647 व 648 वाकै ग्राम साईवाड, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर के मध्य नक्शा ट्रेस में दर्शित खसरा नं0 658 की दर्शित कुछ भूमि को लटटा नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती की जावे तथा उक्त दुरूस्ती कर इन्द्राज प्रतिवादी सं0 28 के राजस्व रिकार्ड में करवाया जावे। प्रतिवादीगण व उनके नौकर, एजेन्ट, प्रतिनिधि, स्थानापन्न, वारिसान आदि को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी को उसकी खातेदारी भूमि खसरा नं0– 647 रकबा 0.01 है0, व खसरा नं0– 648 रकबा 0.03 है0, तथा खसरा नं0– 649 रकबा 0.02 है0 वाकै ग्राम साईवाड, तह0 शाहपुरा, जिल जयपुर कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में कोई बाधा या अडचन पैदा नही करे, तथा वादी की भूमि मे कचरा, गन्दा पानी आदि नहीं डाले न डलवाये।

वादी के द्वारा वाद पत्र पेश किये जाने पर विधिवत दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की ओर से बावजूद सूचना के प्रतिवादी सं0 1 के अलावा कोई उपस्थित नहीं आये । प्रतिवादी सं0 1 उपस्थित होकर कोई जवाबदावा पेश नहीं किया गया तथा दिनांक 8.9.2022 को उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । वादीगण की ओर से वादी स्वंय , बलदेव व राधा कृष्ण ने शपथ पत्र पेश कर जाहिर किया कि वादीगण के द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए आराजी खसरा नम्बर 658 की सीमा दुरूस्ती हेतु निवेदन किया गया । वकील अभय पक्ष बहस सुनी गई । वकील वादी ने अपने बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को जाहिर करते हुए आराजी खसरा नम्बर 658 की सीमा को साबिक नक्शा ट्रेस 1980 के अनुसार दुरूस्त किये जाने एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा स पाबन्द किये जाने हेतु निवेदन किया ।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया गया तथा आराजी खसरा नम्बर 647 व 648 तथा 658 की सीमाओं का अवलोकन करने पर पाया गया कि खसरा नम्बर 647 की दक्षिणी सीमा तथा खसरा नम्बर 648 की उत्तरी सीमा के बीच में खसरा पम्बर 658 की सीमा आ रही है जबकि साबिक नक्शा ट्रेस 1980 का अवलोकन करने पर पाया कि खसरा नम्बर 658 की पूर्वी व खसरा नम्बर 648 की पश्चिमी सीमा सीधी है तथा वर्तमान में नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 647 की दक्षिणी सीमा तथा खसरा नम्बर 648 के बीच में खसरा नम्बर 658 की सीमा आ रही है। उक्त परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई आदेश प्रतिवादीगण के द्वारा पेश नहीं किया गया है । इस प्रकार वकील वादी की बहस तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, एवं साक्ष्य वादी के शपथ पत्रों के अवलोकन में भी यही जाहिर किये जाने से आराजी खसरा नम्बर 658 की सीमा दुरूस्ती किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादी के हक में डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 658 की सीमा को साबिक नक्शा ट्रेस 1980 के अनुसार सीधी किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वादी की आराजी खसरा नम्बर 647 रकबा 0.01 है0, 648 रकबा 0.03 है0, 649 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम साईवाड़ तहसील शाहपुरा के कब्जे कास्त एवं उपयोग व उपभोग में कोई बाधा या अड़चन पैदा नहीं करे तथा वादी की भूमि में कचरा गन्दा पानी आदि नहीं डाले । जबरन बैदखल नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक .10.10.2022 को सरै इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 16/2021

उनवान

1. सुभाष चन्द पुत्र श्री भागीरथ, उम्र–व्यस्क, जाति कुमावत, निवासी साईवाड, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0

वादी

बनाम

1. नारायण पुत्र स्व0 श्री रामलाल उर्फ रामसिंह
2. धर्मेन्द्र पुत्र स्व0 श्री रामलाल उर्फ रामसिंह
3. नरेन्द्र पुत्र स्व0 श्री रामलाल उर्फ रामसिंह
4. राजू उर्फ शकुन्तला पुत्री स्व0 श्री रामलाल उर्फ रामसिंह
5. बनारसी पत्नी स्व0 श्री रामलाल उर्फ रामसिंह
6. राकेश पुत्र स्व0 श्री सूरज
7. शिम्भू उर्फ विनोद पुत्र स्व0 श्री सूरज
8. लाली उर्फ मंजू पुत्री स्व0 सूरज
9. कमली पत्नी स्व0 श्री सूरज
10. एकता पुत्री स्व0 श्री दयाल उर्फ दिनेश
11. टीना पुत्री स्व0 श्री दयाल उर्फ दिनेश
12. विनय पुत्र स्व0 श्री दयाल उर्फ दिनेश
13. माया देवी पत्नी स्व0 श्री दयाल उर्फ दिनेश
14. अमित पुत्र स्व0 श्री सुरेश
15. पुनम पुत्री स्व. श्री सुरेश
16. नीता उर्फ नाथी पत्नी स्व0 श्री सुरेश
17. श्रवण पुत्र स्व0 श्री सीताराम
18. बंशीधर पुत्र स्व0 श्री सीताराम
19. कमलेश पुत्र स्व0 श्री सीताराम
20. उम्मेदी पुत्री स्व0 श्री सीताराम
21. सन्तोष पुत्री स्व0 श्री सीताराम
22. गुलाब देवी पत्नी स्व0 श्री सीताराम
23. दाखली पत्नी प्यारेलाल
24. नारायण पुत्र मालीराम
25. प्यारेलाल पुत्र मालीराम
26. रामावतार पुत्र मालीराम
27. हजारीलाल पुत्र मालीराम

    समस्त व्यस्क, जाति खटीक, निवासी साईवाड, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
28. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

निर्णय दिनांक 10.10.2022

अतः दावा वादी के हक में डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 658 की सीमा को साबिक नक्शा ट्रेस 1980 के अनुसार सीधी किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

पाबन्द किया जाता हैं कि वादी की आराजी खसरा नम्बर 647 रकबा 0.01 है0, 648 रकबा 0.03 है0, 649 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम साईवाड़ तहसील शाहंपुरा के कब्जे कास्त एवं उपयोग व उपभोग में कोई बाधा या अड़चन पैदा नहीं करे तथा वादी की भूमि में कचरा गन्दा पानी आदि नहीं डाले । जबरन बैदखल नहीं करें

आज तारीख 10.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	